

**शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—:**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—52 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:**

**01. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. रामू पुत्र हनुमान नि० पंचम पुरवा मौजा पूरे बहोरी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—188/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. वन्दनी पत्नी बल्लू नि० खिरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—224/20, 02. निशा पत्नी नान बाबू नि० खिरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—225/20, 03. श्याम बिहारी पुत्र बहाऊ नि० खिरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—226/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. बलिराम वर्मा पुत्र राम बहोरे नि० बालक राम पुरवा मौजा देवतहा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—137/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**04. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. अनिल कुमार यादव पुत्र राम किशुन यादव नि० दुर्गागंज मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—348/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**05. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. दिलीप कुमार पुत्र धिराऊ नि० किन्धौरा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—348/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**06. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. बैधू पासी पुत्र लखन पासी नि० दामोदर पुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 25 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—189/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**07. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. जगू पुत्र सालिक राम नि० तिवारी पुरवा उपाध्यायपुर ग्रन्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—288/20, 02. समयदीन पुत्र जवाहिर नि० महुवा खाली अम्बरपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—289/20, 03. राकेश पुत्र प्यारे

नि० पंचपुती जगतापुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-290/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## 08. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. प्रभुनाथ पुत्र रामराज नि० कुण्डेरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-245/20, 02. राधेश्याम पुत्र लल्लन चौहान नि० लोनियन पुरवा पूरे महा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-246/20, धारा 60/60(2) आबकारी अधि०, 03. नन्कू पुत्र रामराज नि० मोती बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-247/20, 04. नानबाबू पुत्र छत्तर नि० ठाकुरदास पुरवा रेतवागाढ़ा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-248/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## 09. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राम स्नेही उर्फ राज कुमार पुत्र कल्पनाथ नि० गोपालपुर चौबे थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-297/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## 10. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रजित राम पुत्र जुगुल नि० पण्डित मोफिया थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-337/20, 02. राम लाल पुत्र राम दयाल खटिक नि० बकेलवा थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-339/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## मारपीट करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

**गोण्डा।** बुधवार जनपद गोण्डा के थाना नवाबगंज पुलिस ने मारपीट करने के आरोपी अभियुक्तों-01. कौशल कुमार निषाद पुत्र प्रेमचन्द्र, 02. बैजनाथ पुत्र ओम बाबू निवासीगण ग्राम ऊंचे पुरवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को थाना नवाबगंज में पंजीकृत मु०अ०सं०-349/20, धारा 323.504.308 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्तगणों ने दिनांक 08.07.2020 को पुरानी रंजिश के चलते वादी घनश्याम निषाद पुत्र मनीराम निषाद नि० ग्राम ऊंचे पुरवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा व उनके भाई त्रिलोकीनाथ को गाली-गुप्ता देते हुए मारा-पीटा था। जिससे वादी के भाई मौके पर बेहोश हो गये थे। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें नवाबगंज पुलिस ने वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

### गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शिवकुमार पुत्र श्री लालजी वर्मा नि० कचनापुर मौजा दुल्लापुर थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

### बरामदगी-

01. 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

### पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-340/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

### संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 26.08.2020 को थाना को० देहात के उ०नि० राकेश यादव मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि कचनापुर तिराहे के पास एक व्यक्ति संदिग्ध दिखने पर रोकटोक कर चेक किया गया तो अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० देहात में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 राकेश यादव।
02. आ0 जगदीश कुमार